रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1715] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 22, 2013/आषाढ़ 31, 1935
No. 1715] NEW DELHI, MONDAY, JULY 22, 2013/ASHADHA 31, 1935

IndiaCode

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2013

का.आ. 2227(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्ड/राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थायी पुल/अस्थायी पुल के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा शुल्क का संग्रहण) नियम, 1997 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1515(अ), तारीख 18 जून, 2009, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्–

उक्त अधिसूचना में टिप्पणियों के पैराग्राफ 3 (ii) के स्थान पर विद्यमान पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

''3. डब्ल्यूपीआई- बी शुल्क में संशोधन की तारीख से पूर्ववर्ती 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष का औसत थोक मूल्य सूचकांकहै ।''

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/456/08-09/सीओ/जीसी-दौसा(आगरा-भरतपुर)बीओटी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2013

S.O. 2227(E).—In exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways (Collection of Fees by any person for the Use of Section of National Highways/Permanent Bridge/temporary Bridge on National Highway) Rules, 1997, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road, Transport and Highways number S.O. 1515(E), dated 18th June, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely :—

In the said notification for paragraph 3 (ii) of Notes, the existing paragraph shall be substituted namely:-

"3. (ii) WPI - B is the Average Wholesale Price Index for the year ending 31st March preceding the fee revision date".

[F. No. NHAI/13013/456/08-09/CO/GC-Dausa (Agra-Bharatpur) BOT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.